(2)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 67/2025 दायर दिनांक: 09.05.2025

उनवान

1. लालचन्द पिता बापू जाति मीणा नि. सालरी तहसील रायपुर
2. नितेश कुमार मीणा पिता रामकरण जाति मीणा नि. सालरी तहसील रायपुर
3. संजय कुमार पिता रामकरण जाति मीणा नि. सालरी तहसील रायपुर
4. दूरखभाल आत्मज बापू जाति मीणा नि. सालरी तहसील रायपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. धनराज पित्ता रामचन्द्र जाति मीणा नि. सालरी तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :—

अभिभाषक प्रार्थीगण — श्री विनोद शर्मा

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 — श्री सुभाष दांगी

अप्रार्थी सं. 2 — पेरोकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

निर्णय

दिनाक: 03.11.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम सालरी पटवार हल्का सालरी तहसील रायपुर जिला झालावाड राज की जमाबन्दी संवत् 2075—2078 के खाता संख्या नया 279 पुराना 233 के खसरा नम्बर 1063 रकबा 1.5049 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 827 रकबा 0.4543 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 897 रकबा 0.1624 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 898 रकबा [illegible]5 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 899 रकबा 0.2278 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 900 रकबा 0.2276 हैक्टेयर खसरा नम्बर 964 रकबा 0.3162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 966 रकबा 0.7841 हैक्टेयर, कुल किता 08 कुल रकबा 4.1986 हैक्टेयर है। उक्त भूमि प्रार्थीगण ने

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

शामलाती खातेदारी कब्जे काशत की भूमि है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 827 की आराजी 0.4453 हैक्टेयर आराजी के लिए नया रास्ता स्वीकृत चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 827 जो प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी व हिस्से में आई है। इस आराजी पर आने जाने का सुगम रास्ता सालरी से डावल सड़क से दक्षिण की और प्रार्थीगण का रास्ता खसरा नम्बर 826 तक बना हुआ है। लेकिन प्रार्थीगण का रास्ता अप्रार्थी के खसरा नम्बर 825 की दक्षिण मेड से होते हुये। प्रार्थी के खसरा नम्बर 827 पर जाते है। जहाँ पर अप्रार्थी ने रोक अवरोध उत्पन्न करता है। इस रास्ते को अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। यह कि प्रार्थीगण का अनुतोष अप्रार्थी के विरूद्ध है क्योंकि पारिवारिक बंटवारे में हिस्सा होकर जिस आराजी के जिस भाग पर प्रार्थी रास्ते का अनुतोष चाहता है। यह भाग अप्रार्थी के कब्जे काश्त मे है। इस कारण जमाबन्दी में दर्ज सह खातेदारान की अप्रार्थी के रूप में पक्षकार समायोजित नहीं किया है। दौराने वाद अप्रार्थी प्रस्तुत होते तथा सहखातेदारों के बाबत माननीय न्यायालय के द्वारा पक्षकार समायोजित करनके के आदेश किया जाता है तो पालना में सह खातेदारान को पक्षकार बनाने में सैदव तत्पर एवम तैयार रहेगा। यह कि प्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की आराजी खसर नम्बर 827 पर आने ज़ाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की कृषि कार्य करने के लिये ट्रेक्टर, ट्रोली, बेल गाडी आदि निकालने में समस्या आ रही है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और मौके पर इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है ना ही स्वीकृत रास्ता है। यह कि उक्त रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थीगण को अत्यन्त आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। (THE NECCESITY IS ABSOLUTE NECCESITE AND IS NOT FOR MERE COVENIEN ENJOYMET OF HOLDING) अप्रा[illegible] भी प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर आने जाने [illegible] यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात प[illegible] चौडाई में रास्ते की आवश्यता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने ट्रक, [illegible]टर–ट्रोली बेल–गाडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज•)

Scanned with OKEN Scanner

मशीन व कृषि सामान इत्यादि लाने–ले–जाने में उपयोग हो सके है। यह कि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में मुआवजे के बदले प्रतिकर के रूप में मुआवजे के बदले निर्धारित नियमानुसार राशी भुगतान करने के लिए तैयार है। यह कि प्रार्थीगण ने उक्त सम्बन्ध में हल्का पटवारी व कानूनगो को रास्ता खुलासा करवाने हेतु कहा तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का होकर उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी ग्राम सालरी पटवार हल्का सालरी तहसील रायपुर जिला झालावाड राज. की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 279 पुराना 233 के खसरा नम्बर 827 रकबा 0.4553 हैक्टेयर पर आने जाने का नवीन रास्ता 12 फीट चौडाई का अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 825 की दक्षिणी मेढ से होकर प्रार्थीगन के खसरा नम्बर 827 पर पहुँचने के लिए रास्ता स्वीकृत किया जावे। रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभीलेख किया जाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय के पक्ष में हो प्रदान की जाये।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पेरा नं. 1 राजस्व रेकार्ड से सम्बन्धित है जो प्रार्थी साबित करे। यह की प्रार्थना पत्र के पेरा नं. 2 के तथ्य गलत है अस्वीकार है। खसरा नं. 827 ग्राम सालरी के खातेदार इन्द्रजीत पुत्र बापु हिस्सा 1/4 कलावतीबाई बेवा रामकरण हिस्सा 1/16 टीना मीणा हिस्सा 1/16 को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो उक्त भूमि के खातेदार है। जिस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह की उक्त पेरे के सभी तथ्य गलत व बनावटी होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण का उक्त खसरा नं. में 825 की दक्षीणी मेड पर [illegible] रास्ता नहीं है। वेकल्पिक रास्ते मोजूद होने पर भी केवल प्रार्थीगण सुविधा के [illegible] खसरा नं. 825 पर अवैध रूप से रास्ते की माँग कर रहे है जो [illegible] है। यह की खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

नं. 827 के अन्य खातेदार गोजूद है उन्हे कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि गाँव से रेकार्डेड व वेकल्पिक तीन रास्ते गोजूद है जिस कारण प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। यह की उक्त पेरे के समस्त तथ्य बनावटी व गलत दर्ज किए गए है जो अस्वीकार है जबकि खसरा नं. 827 पर पहुँचने के तीन रास्ते मोजूद है तथा खसरा नं. 825 पर माँगे गए रास्ते से छोटे व नजदीक है जिस कारण भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह की प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने के रेकार्डेड वेकल्पिक नजदीक रास्ते मोजूद है जो गांव से गेर मु. रास्ता खसरा नं. 790 से चलकर गेर मु रास्ता खसरा नं. 775 से होकर खसरा नं. 777 तक रेकार्डेड रास्ता है फिर खसरा नं. 777 के दक्षिण मेड पर होकर खेतों व कुए का रास्ता खसरा नं. 777 के पूर्वी कोने तक मोजूद है जो केवल खसरा नं.778 के कोने पर बंद है जिससे खसरा नं. 827 लगा हुआ है जो सबसे नजदीकी छोटा रास्ता है तथा दूसरा गेर मु. रास्ता खसरा नं. 775 से होकर आगे गेर मु. रास्ता खसरा नं. 764 से होकर प्रार्थीगण के पिता रामकरण के नाम सहखातेदारी में दर्ज रही भूमि खसरा नं. 765 की पश्चिमी मेड पर होकर खसरा नं. 1196/765 की दक्षिणी मेड तक रास्ता मोजूद है जिससे प्रार्थीगण का खसरा नं. 827 लगा हुआ है यानी केवल मेड ही बीच में है। तीसरा रास्ता गेर मु. रास्ता खसरा नं. 830 से गेर मु. रास्ता खसरा नं. 764 से होकर प्रार्थीगण के पिता रामकरण के नाम दर्ज रही भूमि खसरा नं. 765 व 1196/765 की पश्चिमी मेड पर होकर खसरा नं. 1196/765 की दक्षिणी मेड तक रास्ता मोजूद है जिससे प्रार्थीगण का खसरा नं. 827 लगा हुआ है फिर भी प्रार्थीगण ने धारा 251ए आर.टी.एक्ट का दुरूपयोग करने की नीयत से रेकार्डेड वेकल्पिक व नजदीक छोटे रास्ते मोजूद होने पर भी कंवल उनकी सुविधा के लिए व अप्रार्थी की भूमि को खुर्द-बुर्द करने की गरज से बनावटी, निराधार, झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो भारी कोस्ट पर खारिज योग्य है। यह की पेरा नं. 7 के सभी तथ्य निराधार, भ्रामक व झूठे [illegible] से अस्वीकार है। प्रार्थी को रास्ते के संबन्ध में कोई [illegible] आवश्यकता नहीं [illegible] और केवल उनकी सुविधा के लिए व अप्रार्थी को नुकसान करने की [illegible] से पेश किया गया है प्रार्थीगण ने अभी भी उनके खेत में वैकल्पिक मोजूद रास्ते से होकर ही फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

बोई है जिस कारण प्रार्थी की सुविधा के लिए धारा 251 ए आर टी एक्ट का दुरूपयोग नहीं किया जा सकता है। यह की उक्त पेरे के तथ्य अस्वीकार है। रेकार्डेड व वेकल्पिक दो–तीन रास्ते मोजूद होने से नये रास्ते की आड़ में अप्रार्थी की खातेदारी भूमि को खुर्दबूर्द करने का अधीकार प्रार्थीगण को नहीं दिया जा सकता है। यह की उक्त पेरे के सभी तथ्य गलत है अस्वीकार है। भूमि का बाजार मूल्य डीएलसी से करीब दस गुना अधिक है इसलिए अपने परिवार की भूमि को बचाने के लिए कोई भी नये रास्ते का अत्यधिक कम प्रतिकर देने को तैयार रहते है इस कारण अत्यन्त आवश्यकता के कानुन के दुरूपयोग की अनुमति प्रार्थीगण को नहीं दी जा सकती है। यह की उक्त पेरे के तथ्य बनावटी दर्ज होने से अस्वीकार है। यह की उक्त पेरे के सभी तथ्य गलत है अस्वीकार है। चाही गई सहायता अधिकारी नहीं है। **विशेष आपत्तियाँ–** यह की उक्त प्रार्थना पत्र कतई निराधार, भ्रामक झूठे तथ्यों पर महज प्रार्थीगण की सुविधा के लिए अप्रार्थी 1 की खातेदारी भूमि को खुर्दबुर्द करने व अप्रार्थी के वेधानिक हक अधिकारो को नुकसान पहुंचाने की गरज से पेश किया गया है, जो रेकार्डेड व वेकल्पिक नजदीक रास्ते मोजूद होने से भारी कोस्ट पर खारिज योग्य है। यह की प्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 827 पर पहुँचने के रेकार्डेड व वेकल्पिक रास्ते गांव सालरी से चलकर गेर मु. रास्ता खसरा नं. 790 से चलकर गेर मु रास्ता खसरा नं. 775 से होकर खसरा नं. 777 तक रेकार्डड रास्ता है फिर आगे खसरा नं. 777 के दक्षिण मेड पर होकर खेतों व कुए का रास्ता खसरा नं. 777 के पूर्वी कोने तक मोजूद है जो केवल खसरा नं. 778 के कोने पर बंद है जिससे खसरा नं. 827 लगा हुआ है जो सबसे नजदीकी छोटा रास्ता है तथा दूसरा गेर मु रास्ता खसरा नं. 775 से होकर आगे गेर मु रास्ता खसरा नं. 764 से होकर प्रार्थीगण के पिता रामकरण के नाम सहखातेदारी में दर्ज रही भूमि खसरा नं. 765 की पश्चिमी मेड पर होकर खसरा नं. 1196/765 की दक्षिणी मेड तक टेक्टर का रास्ता मोजूद है जिससे प्रार्थीगण की खसरा नं. 827 लगा हुआ है यानी केवल मेड [illegible] गेर मु. रास्ता खसरा नं. 830 से गेर मु रास्ता खसरा नं. 764 से होकर प्रार्थीगण के पिता रामकरण के नाम दर्ज रही भूमि खसरा नं. 765 व 1196/765 की पश्चिमी मेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(8)

पर होकर खसरा नं 1196/765 की दक्षिणी मेड तक रास्ता मोजूद है जिससे प्रार्थीगण का खसरा नं. 827 लगा हुआ है फिर भी प्रार्थीगण ने धारा 251ए आर. टी.एक्ट के प्रावधान का दुरूपयोग करने की नीयत से रेकार्डेड वैकल्पिक व नजदीक छोटे रास्ते मौजूद होने पर भी केवल उनकी सुविधा के लिए व अप्राथी की भूमि को खुर्द–बुर्द करने की गरज से बनावटी, निराधार, झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो भारी कोस्ट पर खारिज योग्य है। यह की रेकार्डेड व येकल्पिक तथा नजदीकी रास्ते मौजूद होने पर भी केवल अत्यन्त सुविधा के लिए अत्यन्त आवश्यकता के नये रास्ते के प्रावधान का दुरूपयोग कानूनन नहीं किया जा सकता है। यह की भूमि का वास्तविक बाजार मूल्य डी. एल. सी. से करीब दस गुना अधिक होने से नाम मात्र की प्रतिकर राशि में प्रार्थीगण केवल सुविधा के लिए अप्रर्थी 1 की भूमि को खुर्दबुर्द करने वैधानिक हक अधिकारों को अपरिमित नुकसान करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। जबकि प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर रखा है। यह की रेकार्डेड व वैकल्पिक तथा अधिक नजदीकी रास्ते मोजूद होने पर भी अप्रार्थी 1 के वैधानिक हक अधिकारों को अपरिमित नुकसान करने की गरज से प्रार्थीगण ने वैकल्पिक रास्ते के सही तथ्यो को छिपाकर भ्रामक, झूठा प्रार्थना पत्र पेश करने से अप्रार्थी विशेष हर्जा खर्चा 25000 रु. प्रार्थीगण से पाने का अधिकारी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष आपत्तियों के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारिज किया जाकर विशेष हर्जा खर्चा अप्राथी को 25000 रू. प्रार्थीगण से दिलाने की कृपा करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

3. अप्रार्थी सं. 2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/राजस्व/2025/856 दिनांक 08.07.2025 से जांच रिपोर्ट पेश की जो निम्नानुसार है– ग्राम सालरी को आरजी ख.न. 827 खत्ता संख्या 279 खातेदार इन्द्रजीत पुत्र बापू हिसा 1/4 जाति मीणा कलावती बाई पत्नि स्व. रामकरण हिं[illegible] जाति मीणा टीमा मीणा पुत्री रामकरण मीणा हिंसा 1/16 जाति मीणा [illegible] कुमार मीणा पुत्र रामकरण मीणा हिस्सा 1/16 जाति [illegible] हिस्सा 1/4 जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

मीणा लालचन्द पुत्र बापू हि. 1/4 जाति मीणा संजय कुमार मीणा पुत्र रामकरण मीणा हि. 1/16 सा. देह खातेदारान के खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी खातेदारान के द्वारा वर्तमान में ग्राम शालरी के खाता संख्या 124 के ख.न. 825 रकथा 1.8084 हैक्टेयर बीड प्रथम में होकर प्रार्थी की खाते की भूमि ख.स. 827 में आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। वर्तमान मे आराजी ख.न. 825 खाता संख्या 124 में खातेदार अशोक कुमार पुत्र उदा हिस्सा 703/4004 जाति मीणा सा. देह खातेदार आशा बाई पत्नि अशोक कुमार हि० 703/4004 कमला बाई पत्नि स्व. भागीरथ हि. 1/7 जाति मीणा धनराज पुत्र रामचन हि० 146/1001 नन्दलाल पुत्र भागीरथ हि. 1/7 जाति मीणा नन्दूबाई पुत्री गोपी हि. 1/28 जाति मीणा रूकमणी बाई पुत्री गोपी हि. 1/28 मीणा श्रीराम पुत्र गोपी हि० 146/1001 जाति मीणा सा०देह खातेदारान के खातेदारी दर्ज है। ख.स. 827 हेतु 827 की उत्तरी मेड से ख.स. 825 में से 825 की उत्तरी मेड से सीधा रास्ता चाहते है। जो कि ग्राम सालरी की मुख्य ग्रामीण सडक ख.स. 813 रकबा 1.2520 में मु रास्ते से लगा हुआ है पूर्व में ख.स. 827 के खातेदार ख.स. 825 से होकर गुजरते थे पूर्व में 825 खसरे से वैकल्पिक रास्ता था जो कि वर्तमान में खातेदारान द्वारा कब्जा काश्त पश्चात बन्द हो गया है प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते एवं निकटतम रास्ता जो कि 827 की उत्तरी मेड से लेकर 825 की उत्तरी मेड तक जो कि ख.स. 813 गे.मु. रास्ता से लगवा है कि लंबाई 44 गठठा यानी 303 फीट एव चौडाई 12 फीट यानि कुल क्षेत्रफल 4358 फीट या 0.0404 हेक्टेयर है। जो कि गे. मुरास्ता दर्ज किये जाने योग्य है जो कि मुख्य सडक ख.स. 813 गे. मु.रास्ता के निकटतम है। प्रर्थीगण की भूमि 827 तक पहुंचने हेतु अन्य कोई रिकाडेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने हेतु अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि आराजी ख.स. 827 तक पहुंचने हेतु उक्त रिपोर्ट में न्यूनतम व चाहा गया वैकल्पिक रास्ते का अंकन किया गया है। नवीनतम डी.एल.सी. दर की प्रति नवीनतम जमाबंदी की प्रति भय नक्शा एवं वेकल्पिक रास्ते हेतु प्रस्तावित नक्शा संलग्न है। अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(10)

4. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम सालरी तहसील रायपुर का खाता सं. 279 की जमाबंदी सं. 2073–76, खसरा नक्शा दिनांक 08.05.2025, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा का प्रकरण सं. 93/2024 उनवान धनराज वगै.बनाम नितेश कुमार वगै. का प्रार्थना पत्र, आर्डरशीट निर्णय दिनांक 28.04.2025, पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2024 की छायाप्रतियां, फोटोग्राफ पेश किये।

5. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से ग्राम सालरी का खसरा नक्शा किता 3 दिनांक 07.07.2025, गुगल मेप फोटोग्राफ, ग्राम सालरी के खाता सं. 220 की जमाबंदी सं. 2065–68, ग्राम सालरी तहसील रायपुर का खाता सं. 203 की जमाबंदी सं. 2061–64 पेश की।

6. अप्रार्थी सं. 2 पेरोकार सरकार की ओर से हल्का पटवारी की रिपोर्ट, लटठा नक्शा ट्रेस दिनांक 04.07.2025, ग्राम सालरी तहसील रायपुर का खाता सं. 1, 124, 279 की जमाबंदी सं. 2073–76, खसरा नक्शा दिनांक 04.07.2025 पेश की।

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम सालरी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 827 तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से तक पहूँचने के लिए मुख्य सडक ख.नं. 813 से होकर ग्राम सालरी की आराजी ख.नं. 825 के पूर्वी मध्य भाग से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर ख. नं. 826 की मेड के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी आराजी ख.नं. 827 तक वर्षो से आया जाया करते है और मौके पर रास्ता बना हुआ है जिससे होकर ख.नं. 826 व 828 के खातेदार [illegible] लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई रास्ते को ख.नं. 826 की मेड के समीप बंद कर दिये जाने से वर्तमान में प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नहीं है। परिणामतः प्रार्थीगण की आराजी विगत 1–2 वर्षो से मजबूरन भूमि पडत पडी हुई है जिससे प्रार्थीगण के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। तहसीलदार रायपुर द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025 में भी प्रार्थीगण की आराजी तक कृषि कार्य हेतु कृषि उपकरण यथा ट्रेक्टर, थ्रेशर, हल, फसल कटाई मशीन आदि लाने ले जाने के लिए कोई रिकार्डेड एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं बताया गया है। अतः रास्ता प्रार्थीगण किसान की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है।

अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी ख.नं. 827 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 825 से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति डीएलसी की दुगनी दरो से करने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण की आराजी में कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

8. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 827 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि ख.नं. 825 की मध्य मेड से होकर पहूँच हेतु कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहूँच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से होकर सरकार रास्ते ख.नं. 790 से होकर दक्षिण पूर्व की ओर चलते हुए सरकार ख.नं. 775 से होकर पूर्व की ओर प्रार्थीगण की शामलाती भूमि ख.नं. 777 तक पहूँच कर आगे पूर्व दिशा में चलकर ख.नं. 778 से होकर प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 825 पर जाता है। इसी प्रकार एक अन्य वैकल्पिक रास्ता सरकार रास्ता ख.[illegible] होता हुआ दक्षिण की ओर चलकर पश्चिम दिशा में [illegible] 765 से होकर प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 827 [illegible] पर चालू भी है लेकिन प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए व अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(12)

ख.नं. 825 में होकर सुविधाजनक रास्ता चाहते है जो धारा 251 ए आर.टी.एक्ट में देय नहीं है। अतः प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

9. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण के ख.न. 827 तक पहुंचने हेतु कोई रिकॉडेड सरकारी रास्ता नहीं है। कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 825 के पूर्वी भाग में मुख्य सडक से होकर दक्षिण की ओर ख.नं. 826 तक वर्षो पुराना रास्ता बना हुआ है और प्रतिदिन उपयोग में लिया जा रहा है जो आगे ख.नं. 825 व 826 के खातेदारो ने बंद कर दिया है जिसे तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 26.06.2024 को खुलासा कराया गया था लेकिन पुनः अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया गया। वर्तमान में प्रार्थी द्वारा पहुंच हेतु न्यूनतम दूरी का रास्ता मुख्य सडक ख.नं. 813 से होकर ख.न. 825 के बीच से होता हुआ ख.नं. 827 की उत्तरी मेड तक पहुंच सकता है जिसकी लम्बाई करीब 363 फीट होगी।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

10. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग –प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 827 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम सालरी तहसील रायपुर के नजरी नक्शा व लटठा नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता होना – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु वर्तमान में कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(13)

तक पहूँच हेतु दो वैकल्पक रास्ते – एक ख.नं. 790 व 775 से होकर एवं दूसरा ख.नं. 830, 764 व 765 से होकर–मौजूद है और अन्य खातेदार वर्षो से इनका उपयोग करते आ रहे है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के लम्बा होने से प्रार्थीगण सुविधा के लिए अप्रार्थी की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहते है। वादग्रस्त आराजी का अधोहस्ताक्षरकर्ता उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वयं मौका देखा गया। मौका निरीक्षण से स्पष्ट है कि सालरी ग्राम की मुख्य सडक से अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 825 के पूर्वी मध्य भाग से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर ख.नं. 826 की उत्तरी मेड तक रास्ता बना हुआ है और मौके पर स्पष्टतः चालू है। उक्त रास्ते के दोनो ओर अप्रार्थीगण द्वारा तार फेरिंग कर रखी है। ख.नं. 826 की उत्तरी मेड के सहारे ख.नं. 825 की दक्षिण मेड से पूर्व से पश्चिम की ओर कच्ची पगडंडी बनी हुई है जो मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर रखी है।

ग्राम पंचायत की आबादी भूमि से होकर ख.नं. 790 से होकर पूर्व की ओर सरकारी रास्ता ख.नं. 775 से ख.नं. 776 की दक्षिण मेड पर मौके पर रास्ता बना हुआ है लेकिन आगे ख.नं. 777 व 778 के निजी सहखातेदारी की आराजी होने से कोई रास्ता नहीं है। ख.नं. 777 व 778 दोनो ही प्रार्थीगण की खातेदारी या सहखातेदारी की भूमि नहीं है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया उक्त वैकल्पिक रास्ता गलत साबित है। इसी प्रकार ख.नं. 830 सरकारी रास्ता है जिससे पश्चिम की ओर सरकारी भूमि ख.नं. 764 से होकर ख.नं. 775 तक रास्ता दर्ज है लेकिन इसे भी प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 827 तक पहूँचने के लिए निजी खातेदारी की भूमि ख.नं. 766 व 765 व 1196/765 से होकर उत्तर की ओर गुजरना होगा और यहां मौके पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी प्रार्थीगण के लिए गलत साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर [illegible] है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

(iii) रास्ते की अति आवश्यकता होना– उपरोक्त [illegible] सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(14)

हेतु ना कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। यह सही है कि प्रार्थीगण किसान है और प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है।

(iv) लघुतम रास्ता होना:– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, लटठा नक्शा व नजरी नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025 से जाहिर है कि **लघुत्तम रास्ता रायपुर सालरी मुख्य सडक ख.नं. 813 से दक्षिण की ओर अप्रार्थीगण के ख.नं. 825 के मध्य से (अप्रार्थीगण के मकान के पश्चिमी ओर से) होते हुए प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 827 की उत्तरी मेड तक होगा जिसकी लम्बाई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 825 में 363 फीट होगी** जो रास्ते के उपयोग में आएगी। प्रार्थीगण द्वारा 12 फीट चौडा रास्ते का अनुतोष चाहा है जबकि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए 10 फीट चौडा रास्ता ही पर्याप्त होता है।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान:–प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 827 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की ख.नं. 825 की आने वाली 363X 10 = 3630 वर्ग फीट अर्थात 338 वर्ग [illegible] का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु [illegible] है। अतः रा[illegible] के उपयोग में आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

वाली अप्रार्थीगण की भूमि कुल रकबा 3630 वर्ग फीट अर्थात 338 वर्ग मीटर का वर्तमान डीएलसी की दुगुनी दर क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना उचित होगा।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेशण तथा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 08.07.2025 तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता के मौका निरीक्षण के अनुसार ग्राम सालरी तहसील रायपुर की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 827 तक पहूँच हेतु ख.नं. 825 से नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

12. परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। ग्राम सालरी तहसील रायपुर की अप्रार्थीगण की ख.नं. 825 की आने वाली 363X 10 = 3630 वर्ग फीट अर्थात 338 वर्ग मीटर भूमि का नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने पर नवीन रास्ता (ख.नं. 825 के मध्य से अप्रार्थीगण के मकान के पश्चिमी ओर से) दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा का प्रथम नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/11/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:29:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner